



Neutral Citation-2026: AHC:20488

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट – सी संख्या – 3126 / 2026

माता धीराजी देव नंदन जन सेवा ट्रस्ट, सौरम.....याचिकाकर्तागण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्तागण के अधिवक्ता : कमलेश कुमार यादव

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता : भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी, सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना और अभिलेख का अवलोकन किया।

2. इस मामले में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, विरोधी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका का इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई सार्थक उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विरोधी पक्ष इस आदेश से व्यथित महसूस करता है, तो आदेश में संशोधन/परिवर्तन की मांग करने का उसका अधिकार सुरक्षित रखा जा रहा है।

3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई मूल राहत यह है कि प्रतिवादी संख्या 2/कमिश्नर, वाराणसी मंडल, वाराणसी को यह निर्देश दिया जाए कि वह पुनरीक्षण संख्या 4624/2025 (कंप्यूटर केस

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



संख्या C202514000004624) में दायर दिनांक 01.11.2025 के स्थगन प्रार्थना पत्र पर शीघ्रतापूर्वक निर्णय ले।

4. यह मामला अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष काफी समय से लंबित है और काफी समय व्यतीत हो चुका है, किंतु आज तक इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।

5. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 2/कमिशनर, वाराणसी मंडल, वाराणसी, उपर्युक्त पुनरीक्षण में दायर स्थगन प्रार्थना पत्र पर विधि के पूर्णतः अनुरूप, अत्यंत शीघ्रतापूर्वक और अधिमानतः अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से दो माह की अवधि के भीतर निर्णय ले; किंतु ऐसा करते समय, जब तक कोई विधिक बाधा न हो, अनावश्यक स्थगन प्रदान न करे।

(प्रकाश पांडिया, न्यायमूर्ति)

29 जनवरी, 2026

सकलैन

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"